पत्र संख्या- 1/प्रा0आ0-0-3-57/17......105........./आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार, भा0प्र0से0

अपर सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

पश्चिम चम्पारण/मधेपुरा/किशनगंज/नालंदा ।

पटना-15, दिनांक- 9/11/17

विषय:-वर्त्तमान वित्तीय वर्ष-2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष -02 बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष -113-घर की मरम्मत /पुनर्निर्माण के लिए सहायता, उपशीर्ष -0001-बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति/पुनर्स्थापन विपत्र कोड-39-2245021130001 मे कुल ₹501.109 लाख (पाँच करोड़ एक लाख दस हजार नौ सौ रूपये) आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:-स्वीकृत ।

इस राशि का व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष-2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष -02 बाढ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष -113-घर की मरम्मत /पुनर्निर्माण के लिए सहायता, उपशीर्ष -0001-बाढ से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति/पुनर्स्थापन मद के अन्तर्गत मूल बजट उपबंध तथा वित्त विभाग, बिहार के ज्ञापांक - ब-17/ बी0सी0एफ0 आपदा-161/2017/21 सी0एफ0 दिनांक -30.08.17 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या -267/आ0प्र0 दिनांक -30.08.17 द्वारा बिहार आकस्मिकता निधि से स्वीकृत राशि से विकलनीय होगा।

2. आवंटित/ पूर्व आवंटित राशि का जिलावार विवरणी लघुशीर्ष/ उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :-

लघुशीर्ष -113-घर की मरम्मत /पुनर्निर्माण के लिए सहायता ।

उपशीर्ष-0001- बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति/पुनर्स्थापन

माँग संख्या-39 यूनिट कोड- 35 01- नगद /वस्तु

(राशि रूपये लाख में)

क्र०	जिला	अधियाचित राशि	पूर्व आवंटन (वित्तीय वर्ष 2017-18)	वर्तमान आवंटन (वित्तीय वर्ष 2017--18)	आवंटन का योग (वित्तीय वर्ष 2017-18)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	पश्चिम चम्पारण	513.951	0.00 (शून्य)	257.00 (दो करोड़ सनतावन लाख)	257.00 (दो करोड़ सनतावन लाख)
2	मधेपुरा	8.897	0.00 (शून्य)	8.897 (आठ लाख नवासी हजार सात सौ)	8.897 (आठ लाख नवासी हजार सात सौ)
3	किशनगंज	469.473	0.00 (शून्य)	235.00 (दो करोड़ पैंतीस लाख)	235.00 (दो करोड़ पैंतीस लाख)
4	नालंदा	0.212	0.00 (शून्य)	0.212 (इक्कीस हजार दो सौ)	0.212 (इक्कीस हजार दो सौ)
कुल योग		992.533	0.00 (शून्य)	501.109 (पाँच करोड़ एक लाख दस हजार नौ सौ)	501.109 (पाँच करोड़ एक लाख दस हजार नौ सौ)

4 यह आवंटन बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों हेतु जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण के पत्रांक 130 दिनांक 03.10.17/मधेपुरा के पत्रांक 802 दिनांक 14.10.17/किशनगंज के पत्रांक 1107 दिनांक 10.10.17/ नालंदा के पत्रांक 871 दिनांक 26.08.17 द्वारा की गई अधियाचना एवं उपलब्ध बजट उपबंध के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. आवंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नही किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6. आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 1642/आ0प्र0 दिनांक 22.04.16 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।

7 **आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धरित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2018 तक अवश्य भेज दिया जाय।**

8. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णत: व्यय नही हो पाय, तो 15.03.2018 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

9. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष- लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[वि0 (2)] दिनांक-17.4.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। **व्यय होनेवाली राशि के लिये तैयार किये गए विपत्र/ विपत्रों के ऊपर बड़े अक्षरों में लाल स्याही से '' 8000-आकस्मिकता निधि '' अंकित कराया जाय।**

11. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2018 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

12. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर ''आवंटन प्राप्त हुआ'', यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फैक्स से विभाग को सूचित किया जाय।

13. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

14. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

अपर सचिव

ज्ञापांक- 105 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 9/11/17

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट)/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक- 105 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 9/11/17

प्रतिलिपि: संबधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक- 105 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 9/11/17

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक - 105 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 9/11/17

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक- 105 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 9/11/17

प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/ सांख्यिकी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव